अध्यक्ष महोदय
न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर कैम्प भोपाल [म0प्र0]

निगरानी क्रमांक- R 3794-II/13

1. ताराचन्द आत्मज श्री हीरालाल आयु वयस्क,
2. कैलाश आत्मज श्री हीरालाल आयु वयस्क,
निवासी - ग्राम बिलकीस गंज तहसील व जिला
सीहोर [म0प्र0] ——— निगरानीकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

1. नर्मदा प्रसाद, आयु वयस्क
2. आत्माराम आयु वयस्क,
3. रमेश चन्द्र, आयु वयस्क,
तीनों पुत्रगण श्री रतन
4. राजमल आत्मज श्री देवी प्रसाद, आयु वयस्क,

(क्र. 4) राजमल द्वारा वारिसान मृत्यु दिनांक 12-04-2016
पुत्रगण (i) संतोष विश्वकर्मा
(ii) दिनेश विश्वकर्मा दोनों पुत्रगण स्व: राजमल
निवासी - ग्राम बिलकिसगंज आगरिया तह. व जिला
पत्नी (iii) श्रीमति रामप्यारी बाई स्व. पत्नी राजमल
निवासी - ग्राम बिलकिसगंज आगरिया जिला सी
पुत्रीगण (iv) सुमित्रा बाई पत्नी बाबूलाल ग्राम बिलकिसगंज
सिहोर म.प्र.
पुत्रीगण (v) गायत्री बाई पत्नी कैलाश निवासी आष्टा
पुत्रीगण (vi) गुड्डिया बाई पत्नी श्री ताराचंद निवासी सिहो

ammended as per order Dated: 01-06-2016
[signature] 22-6-16

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है ।

1. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग द्वारा विधि न्याय एवं प्रक्रिया के विपरीत पारित आदेश है आदेश निरस्त योग्य है व निरस्त किया जावे ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 3794–दो/13 जिला–सीहोर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23 –12–16	आवेदक के अभिभाषक श्री आर0एस0 मालवीय उपस्थित। अनावेदक अभिभाषक यू0आर0 खान उपस्थित। अनावेदक क्र0 6 श्री जगदीश श्रीवास्तव स्वयं उपस्थित । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के प्र0क्र0 447/05–06/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18.09.2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्क में बताया कि अनावेदक क्र0 5 की मृत्यु दिनांक 14.07.2011 को हुई, जिसकी जानकारी आवेदक को 10.01.2012 को हुई। जानकारी प्राप्त होने के तीन माह के अंदर दिनांक 27.03.2012 को आवेदक को आवेदक द्वारा आदेश 22 नियम 4 का आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था। जवाब में अनावेदक के अभिभाषक द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा दिनांक 14.07.2011 को अनावेदक क्र0 5 की मृत्यु की जानकारी इतने विलम्ब एवं कैसे प्राप्त हुई, इस संबंध में कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया है और न ही इस संबंध में धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि उनका आपस में झगड़ा है इस कारण उनको मृत्यु के संबंध में सही समय पर जानकारी प्राप्त नहीं हुई। आवेदक एवं	

अनावेदक आपस में काका, बाबा के पूत्र है। अनावेदक क्र0 5 घीसीलाल की मृत्यु अचानक न होकर हेपेटाइटिस बी से हुई, जिसका इलाज काफी समय से होता रहा है। आवेदक को घीसीलाल की मृत्यु की जानकारी पूर्व से थी, किन्तु उसने जानबूझकर मृत्यु की जानकारी छिपायी है।

4/ मैंने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदक को अनावेदक क्र0 5 के मृत्यु की जानकारी 3 माह के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत की जानी थी, किन्तु आवेदक द्वारा लगभग 8 माह के बाद अपर आयुक्त न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इतने विलम्ब के बाद आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने का एकमात्र कारण यह बताया गया कि आवेदक को मृत्यु की जानकारी नहीं थी। आवेदक एवं अनावेदक काका, बाबा के पुत्र है तथा एक ही ग्राम के निवासी है तो ये कैसे संम्भव हो सकता है कि आवेदक को अनावेदक क्र0 5 के मृत्यु की जानकारी न हो। यह तथ्य मान्य नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आवेदक द्वारा विलम्ब के संबंध में आदेश 22 नियम 4 के आवेदन के साथ न तो कोई आवेदन प्रस्तुत किया और न ही इस संबंध में कोई ठोस प्रमाण ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है और न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा धारा 5 का आवेदन दिनांक 25.03.2013 को लगभग एक वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अनावेदक क्र0 5 की मृत्यु की जानकारी होने के उपरांत भी इस न्यायालय में समय से प्रस्तुत नहीं की। आवेदक इस न्यायालय में भी स्वच्छ हाथों से उपस्थित

नहीं हुआ है एवं विलम्ब के संबंध जो कारण बताया गया है, वह भी सदभावनापूर्ण न होकर शंकास्पद है। इसी आधार पर अपर आयुक्त भोपाल द्वारा आदेश 22 नियम 4 का आवेदन एवं अपील को अवधि बाह्य मानकर अस्वीकार किया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2013 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है। फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी ~~खारिज~~ सारहीन एवं महत्वहीन होने से खारिज की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य